पुस्तिका-1

संगठन, प्रकार्यों और कर्तव्यों के विवरण
[(धारा 4(1)(ख)(i)]

1. संक्षिप्त इतिहास और पृष्ठभूमिः

राजभाषा विभाग का गठन,राजभाषा से संबंधित संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन को मानीटर करने और उसकी समीक्षा करने तथा संघ के राजकीय उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून 1975 में किया गया। विभाग विभिन्न तंत्रों जैसे (i) केंद्र सरकार के अधिकारियों /कर्मचारियों को हिंदी भाषा , हिंदी टाइपिंग , हिंदी स्टेनोग्राफी , कंप्यूटर प्रशिक्षण और अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने (ii) हिंदी सलाहकार समितियों का गठन करने (iii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टोलिक) का गठन करने और उनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करने (iv) हिंदी में कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की व्यवस्था करने (v)हिंदी में कार्य के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करनेके माध्यम से संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रगा मी प्रयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। 2.विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्योंका मुख्य भाग और प्रदान की जाने वाली सेवाएं सरकारी एजेंसियों के लिए और /या सरकारी कर्मचारियों के लिए है । विभाग के कार्य/सेवाएं विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हैं । विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपनी सेवाओं मेंहिंदी का प्रयोग पारदर्शिता को बढ़ाएगा और अंततः इससे नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा।तदनुसार, इस विभाग द्वारा तैयार किए गए चार्टर को "नागरिक/ग्राहक, चार्टर" (सीसीसी) नाम दिया गया है ।3. नीति के उल्लंघनसे संबंधित शिकायतों को देखना और उस पर निवारक कदम उठाना हमारे अधिदेश का अंग है । तदनुसार चार्टर में सुझावों को भेजने के लिए और शिकायतें करने के लिए तंत्र मौजूद है ।शिकायतें प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग कीकेंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मॉनिटर न प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से भी की जा सकती हैं जिसके लिएवेबसाइट में तथा साथ ही साथ नागरिक चार्टर में "लोक शिकायत" (पब्लिक ग्रिवॉन्स) के अधीन लिंक दिया गया है। सुझावों पर विचार करने और शिकायतों को निपटाने के लिए समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

2.संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य:

राजभाषा से संबंधित संवैधानिक और विधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के शासकीय उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से,जून 1975 में,राजभाषा विभाग का गठन,गृह मंत्रालय के स्वतंत्र विभाग के रूप में किया गया ।उस समय से ही यह विभाग संघ के शासकीय उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहा है । भारत सरकार (कार्य नियतन) नियम 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य मदें सौंपी गई हैः-

i. राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) के उपबंधों कार्यान्वयन, इसमें किसी काकार्यान्वयन, अन्य विभाग को न सौंपा गया हो।
ii. राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यवाहियों में , अंग्रेजी के अलावा , भाषा के सीमित प्रयोग को प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

iii. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल उत्तरदायित्व, इसमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण शिक्षण योजना और पत्रिकाओं, जर्नलों और इससे संबंधित दूसरे साहित्य के प्रकाशन शामिल हैं।

iv. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय , इसमें इसके लिए अपेक्षित प्रशासनिक शब्दावली , पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें , प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उपस्कर (मानकीकृत लिपि के साथ) शामिल हैं।

v. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और काडर प्रबंधन।

vi. केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले।

vii. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्यों का समन्वय।

viii. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधितमामले।

ix. हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।

x. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से संबंधित मामले।

xi. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले।

3. संगठन चार्टः

राजभाषा विभाग का संगठन चार्ट

4. हमारी संकल्पनाः

राजभाषा संबंधी संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों के अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु एक अनुकूल वातावरण तैयार करना, ताकि यह देश की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

5. हमारा ध्येयः

1. अनुनय, प्रोत्साहन और प्रेरणा के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना।
2. हिंदी के प्रयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को अनुदेश देना और उनका मार्गदर्शन करना।
3. राजभाषा नीति, कार्यक्रमों और कार्यों के बारे में सूचना के प्रसार से लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाना।
4. विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों के कार्मिकों को अधिक सक्षम बनाने के लिए कार्य करना।
5. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा द्विभाषिक रूप से कार्य किए जाने के सांविधिक दायित्व को पूरा करने में अपना योगदान देना।
6. उनमंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ, जिनका आधिदेश कुछ सीमा तक राजभाषा विभाग के आ धिदेश से मेल खाता है, तालमेल बिठाना।

7. मुख्य रुप से राजभाषा विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों जैसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान , केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, संसदीय राजभाषा समिति के कामकाज को जन ता के लिए अधिक से अधिक संतोषजनक बनाना।
8. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा , केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान , केंद्रीय अनुवादब्यूरो , क्षेत्रीय कार्यान्वयनकार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्मिक प्रबंधन के लिए एक सक्रिय कार्य तंत्र विकसित करना।
9. राजभाषा नीति के समग्र अनुपालन की निगरानी और समीक्षा करना।
10. पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न किए जाने की संस्कृति को बढ़ावा देना।
11. स्टेकहोल्डर के साथ सतत् संपर्क बनाए रखना।
12. ऐसा स्वस्थ और पर्यानुकूल परिवेश तैयार करना जो ऊर्जा संरक्षण के महत्व और सौंदर्यशास्त्रषके प्रति यथोचित रूप से संवेदनशील हो।

6. नागरिकों के साथ अन्योन्यक्रिया

नागरिकों के लिए व्यापक मार्गदर्शन निर्धारित करने वाला नागरिक चार्टर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।

7. मुख्यालय का पताः

राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
एनडीसीसी-II भवन,'बी' विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली 110001

8. कार्य-समय

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

कार्यालय समयः	पूर्वान्ह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
मध्यान भोजनः	अवकाश अपरान्ह 1:00 बजे से 1:30 बजे तक
जनसंपर्क	अपराह्न 3:00 बजे से 4:00 बजे तक

9. कार्यालय का स्थान मानचित्र

10. शिकायत निवारण तंत्रः